

अनुसंधान प्रश्न

“भारतीय अदालतें अलग हो चुके माता-पिता के बीच बच्चे की कस्टडी कैसे तय करती हैं, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम के तहत बच्चे के कल्याण का सिद्धांत क्या है, और अदालतें किस तरह की कस्टडी और मुलाकात के अधिकार देती हैं?”

अलग हो चुके माता-पिता के बीच बच्चे की कस्टडी के निर्धारण में 'बच्चे के कल्याण' का सिद्धांत, वैधानिक ढांचा (GWA एवं HMGA) और अदालतों द्वारा दिए जाने वाले कस्टडी व मुलाकात के अधिकार

सारांश

भारतीय न्यायालयों में वैवाहिक अलगाव के पश्चात बच्चे की कस्टडी का निर्णय माता-पिता के वैधानिक अधिकारों से ऊपर उठकर पूरी तरह से 'बच्चे के कल्याण' (Welfare of the Child) के सर्वोपरि सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने *Rosy Jacob v. Jacob A. Chakramakkal* (1973) में यह स्थापित किया कि बच्चे कोई निर्जीव वस्तु या माता-पिता के खिलौने नहीं हैं; अतः पिता या माता का प्राकृतिक संरक्षक होना बच्चे के सर्वोत्तम हित और उसके संतुलित विकास के अधिकार को दबा नहीं सकता। इस कल्याणकारी सिद्धांत के अंतर्गत अदालतें शारीरिक सुख-सुविधाओं के साथ-साथ नैतिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का आकलन करके ही कस्टडी और व्यापक मुलाकात (visitation rights) के अधिकार प्रदान करती हैं।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	4	2025
19 उच्च न्यायालय • 6 सर्वोच्च न्यायालय		High Court of Delhi

विषय - सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 बच्चे का कल्याण सर्वोपरि सिद्धांत है

कस्टडी का निर्धारण केवल माता-पिता के दावों पर नहीं बल्कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में उसके समग्र विकास को केंद्र में रखकर किया जाता है, जिसके सामने अन्य सभी वैधानिक अधिकार गौण हो जाते हैं (*Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal* (2008))।

02 'कल्याण' की व्यापक और मानवीय व्याख्या

कल्याण को केवल भौतिक सुख-सुविधाओं या वित्तीय संपन्नता से नहीं मापा जा सकता; इसमें बच्चे का नैतिक, मानसिक, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश शामिल है, जिसे तय करने के लिए न्यायालय सख्त विधिक नियमों से परे 'मानवीय दृष्टिकोण' अपनाते हैं (*Manoj Ghodeswar v. Yashwant Meshram* (2024))।

03 बच्चे की प्राथमिकता (Intelligent Preference) को महत्व

यदि नाबालिग बच्चा पर्याप्त रूप से परिपक्व और समझने योग्य आयु का है, तो अदालतें स्वतंत्र संवाद के माध्यम से उसकी प्राथमिकता को गंभीरता से लेती हैं, हालांकि अंतिम निर्णय बच्चे के कल्याण के अनुसार ही किया जाता है (*Munendra Kumar v. Priyanka Kumari* (2025))।

04 कस्टडी और संरक्षकता (Guardianship) में स्पष्ट अंतर

संरक्षकता अधिक व्यापक कानूनी अधिकार है, जबकि वास्तविक शारीरिक अभिरक्षा (custody) और संगति का निर्धारण पूर्णतः बच्चे के तात्कालिक भावनात्मक और विकासात्मक हितों पर निर्भर करता है (*Col. Ramneesh Pal Singh v. Sugandhi Aggarwal* (2024))।

05 मुलाकात (Visitation Rights) बच्चे का बुनियादी मानवाधिकार है

माता-पिता के बीच कड़वाहट के बावजूद बच्चे को दोनों का स्नेह पाने का अधिकार है; अतः गैर-कस्टोडियल माता-पिता को नियमित तौर पर मुलाकात और संपर्क के अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि बच्चे को मनोवैज्ञानिक क्षति न पहुंचे (*Aarav Shukla v. State of U.P.* (2023))।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार स्पष्ट किया है कि कस्टडी विवादों को तकनीकी कानूनी प्रावधानों या माता-पिता के परस्पर अहम् की लड़ाई के आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। न्यायालय 'parens patriae' क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए माता-पिता के अधिकारों के ऊपर बच्चे के हित को प्राथमिकता देता है (*Tejaswini Gaud v. Shekhar Jagdish Prasad Tewari* (2019))।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बच्चे की उम्र और व्यावहारिक पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए कस्टडी तय की है। उदाहरण के लिए, जब पिता आपराधिक मामलों (जैसे मां की मृत्यु से जुड़े) का सामना कर रहा हो, तो नाना-नानी को प्राथमिकता दी गई है (*P. Manjunath v. Jagadish* (2020))। इसी तरह, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कस्टडी अधिकारों को सौंपने से पहले पिता और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित होना आवश्यक है, अन्यथा तुरंत रातभर की कस्टडी सौंपना बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है (*Dr. Ekta Singh v. Mr. Rajeew Giri* (2023))।

हाल का विकास

हाल ही में (विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों या अंतरराष्ट्रीय तत्वों वाले मामलों में) अदालतों ने यह माना है कि यद्यपि विदेशी अदालतों के आदेश (comity of courts) महत्वपूर्ण हैं, तथापि वे बच्चे को जबरन दूसरे देश भेजने से होने वाले मानसिक आघात के आकलन के ऊपर प्राथमिकता नहीं पा सकते (*Lahari Sakhamuri v. Sobhan Kodali* (2019))।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

प्राकृतिक अभिभावक बनाम कल्याणकारी सिद्धांत का द्वंद्व

हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम (HMGA) की धारा 6(a) के तहत पिता को पहला प्राकृतिक अभिभावक माना गया है, परंतु धारा 13 के तहत कस्टडी में बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि रखने के कारण अदालतों को माता-पिता के अधिकारों और बच्चे की इच्छाओं के बीच जटिल विधिक संतुलन बनाना पड़ता है, जो हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है (*K. Kiran Kumar v. Swaroopa* (2024))।

समझौते और कस्टडी की स्थिरता

कस्टडी के विवादों में माता-पिता के आपसी समझौतों को अदालतें तब तक अंतिम नहीं मानतीं जब तक कि वे बच्चे की स्वतंत्र भलाई की कसौटी पर खरी न उतरें; ऐसे समझौते बच्चे को एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालने के खिलौने के रूप में तब्दील नहीं कर सकते (*Bhavnaben v. State of Gujarat* (2021))।

II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

SECTION 26, HINDU MARRIAGE ACT, 1955 — CUSTODY OF CHILDREN

न्यायालय को वैवाहिक कार्यवाहियों के दौरान या उसके बाद नाबालिग बच्चों की कस्टडी, भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में उनकी इच्छाओं के अनुरूप अंतरिम आदेश और डिक्री पारित करने का अधिकार देता है।

"In any proceeding under this Act, the court may, from time to time, pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may deem just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor children, consistently with their wishes, wherever possible, and may, after the decree, upon application by petition for the purpose, make from time to time, all such orders and provisions with respect to the custody, maintenance and education of such children as might have been made by such decree or interim orders in case the proceeding for obtaining such decree were still pending, and the court may also from time to time revoke, suspend or vary any such orders and provisions previously made:

Provided that the application with respect to the maintenance and education of the minor children, pending the proceeding for obtaining such decree, shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of service of notice on the respondent." उद्धृत: Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal, Vijayaben Parshottam Kotak v. Parshottam Kotak, P. Manjunath v. Jagadish

SECTION 13, HINDU MINORITY AND GUARDIANSHIP ACT, 1956 — WELFARE OF MINOR TO BE PARAMOUNT CONSIDERATION

यह अनिवार्य करता है कि हिंदू नाबालिग के संरक्षक की नियुक्ति या घोषणा में नाबालिग का कल्याण ही सर्वोपरि विचार होगा, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को संरक्षकता का अधिकार नहीं मिलेगा जिसका संरक्षण नाबालिग के सर्वोत्तम हित में न हो।

"(1) In the appointment of declaration of any person as guardian of a Hindu minor by a court, the welfare of the minor shall be the paramount consideration.

(2) No person shall be entitled to the guardianship by virtue of the provisions of this Act or of any law relating to guardianship in marriage among Hindus, if the court is of opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of the minor." उद्धृत: Sunil Podar v. The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, N. Venkataraman v. Vijayarani, Manoj Ghodeswar v. Yashwant Meshram, Ajay Kumar Nanda @ Pintu v. Ashok Kumar Padhee & Ors.

SECTION 12, GUARDIANS AND WARDS ACT, 1890 — POWER TO MAKE INTERLOCUTORY ORDER FOR PRODUCTION OF MINOR AND INTERIM PROTECTION OF PERSON AND PROPERTY

यह धारा न्यायालय को नाबालिग को प्रस्तुत करने का निर्देश देने तथा उसके शरीर या संपत्ति की अस्थायी कस्टडी और सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति देती है।

"(1) The Court may direct that the person if any, having the custody of the minor, shall produce him or cause him to be produced at such place and time and before such person as it appoints, and may make such order for the temporary custody and protection of the person or property of the minor as it thinks proper." उद्धृत: Tanishqa Kumar v. Nagendra Kumar Jogi, Rosy Jacob v. Jacob A. Chakramakkal, Vijayaben Parshottam Kotak v. Parshottam Kotak, P. Manjunath v. Jagadish, Manoj Ghodeshwar v. Yashwant Meshram

SECTION 17, GUARDIANS AND WARDS ACT, 1890 — MATTERS TO BE CONSIDERED BY THE COURT IN APPOINTING GUARDIAN

न्यायालय को निर्देश देता है कि वह संरक्षक नियुक्त करते समय नाबालिग के कल्याण को प्राथमिकता दे, जिसमें उसकी आयु, लिंग, धर्म, संरक्षक का चरित्र, क्षमता और नाबालिग की अपनी बुद्धिमान प्राथमिकता (intelligent preference) को ध्यान में रखा जाए।

"(1) In appointing or declaring the guardian of a minor, the Court shall, subject to the provisions of this section, be guided by what, consistently with the law to which the minor is subject, appears in the circumstances to be for the welfare of the minor.

In considering what will be for the welfare of the minor, the Courts shall have regard to the age, sex and religion of the minor, the character and capacity of the proposed guardian and his nearness of kin to the minor, the wishes, if any, of a deceased parent, and any existing or previous relations of the proposed guardian with the minor or his property.

If the minor is old enough to form an intelligent preference, the Court may consider that preference.

The Court shall not appoint or declare any person to be a guardian against his will." उद्धृत: Tanishqa Kumar v. Nagendra Kumar Jogi, Rosy Jacob v. Jacob A. Chakramakkal, Vijayaben Parshottam Kotak v. Parshottam Kotak, P. Manjunath v. Jagadish, Manoj Ghodeshwar v. Yashwant Meshram

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Manoj Ghodeshwar v. Yashwant Meshram</i> MPHC010021082020	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2024	14 वर्षीय बच्चे की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए नाना के पास कस्टडी बहाल रखी।
02	<i>Sunil Podar v. The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities</i> DLHC010207112022	HIGH COURT OF DELHI	2023	दिव्यांग व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखते हुए नागरिकता की शर्त को वैध माना।
03	<i>Bhavnaben v. State of Gujarat</i> GJHC240625562020	HIGH COURT OF GUJARAT	2021	बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बजाय कस्टडी विवाद को उपयुक्त मंच पर सुलझाने का निर्देश।
04	<i>Neeru Mehta v. Sachin Puri</i> DLHC011020652024	HIGH COURT OF DELHI	2025	बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानकर पिता को कस्टडी सौंपने के आदेश को बरकरार रखा।
05	<i>P. Manjunath v. Jagadish</i> KAHC010358132019	HIGH COURT OF KARNATAKA	2020	मां की आत्महत्या और आपराधिक मामलों के कारण बच्चे की कस्टडी नाना को दी।
06	<i>Vijayaben Parshottam Kotak v. Parshottam Kotak</i> GJHC240011382002	HIGH COURT OF GUJARAT	2002	केवल वित्तीय संपन्नता कस्टडी का आधार नहीं; मां के पास कस्टडी बनाए रखी।
07	<i>Nil Ratan Kundu & Anr. v. Abhijit Kundu</i> ESCR010000952008	SUPREME COURT OF INDIA	2008	पिता पर आपराधिक मुकदमा होने और बच्चे की अनिच्छा के कारण नाना-नानी को कस्टडी।
08	<i>Tejaswini Gaud v. Shekhar Jagdish Prasad Tewari</i> ESCR010009002019	SUPREME COURT OF INDIA	2019	मां की मृत्यु के बाद सक्षम पिता को कस्टडी दी, मौसी-मामा को मुलाकात का अधिकार।
09	<i>Ashwin Chaudhry v. Kiran Chaudhry</i> UKHC010060652016	HIGH COURT OF UTTARAKHAND	2016	धारा 26 के तहत कस्टडी आवेदन को मुख्य मुकदमे से पहले निपटाने का निर्देश।
10	<i>Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal</i> ESCR010005742008	SUPREME COURT OF INDIA	2008	'कल्याण' की व्यापक व्याख्या करते हुए कोर्ट के आदेशों के उल्लंघनकर्ता पिता को कस्टडी देने से इनकार।
11	<i>Shailesh Khandelwal v. Meenakshi Khandelwal</i> CGHC010144432010	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2010	बच्चे के कल्याण और स्थिरता को देखते हुए कस्टडी पिता के पास बनाए रखी।
12	<i>N. Venkataraman v. Vijayarani</i> HCMA014178722013	MADRAS HIGH COURT	2013	बच्ची की अनिच्छा को देखते हुए पिता को केवल टेलीफोनिक संपर्क का अधिकार दिया।
13	<i>Col. Ramneesh Pal Singh v. Sugandhi Aggarwal</i> ESCR010002742024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	सशस्त्र बलों के पिता के पास बच्चों की कस्टडी बहाल रखी, माता को मुलाकात के अधिकार।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
14	Munendra Kumar v. Priyanka Kumari JHHC010244152023	HIGH COURT OF JHARKHAND	2025	पिता के प्राकृतिक अभिभावक होने मात्र से कस्टडी नहीं; बच्चे का कल्याण सर्वोपरि माना।
15	Lahari Sakhamuri v. Sobhan Kodali ESCR010007472019	SUPREME COURT OF INDIA	2019	यूएसए नागरिक बच्चों के सर्वोत्तम हित और अदालती सौहार्द के तहत यूएसए वापसी का आदेश।
16	Aarav Shukla v. State of U.P. UPHC010091822020	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	बच्चे का दोनों माता-पिता का प्यार पाना बुनियादी मानवाधिकार है; मुलाकात अधिकार रेखांकित किए।
17	Tanishqa Kumar v. Nagendra Kumar Jogi CGHC010146792015	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2017	केवल माता-पिता के समझौते के बजाय बच्चे के कल्याण की स्वतंत्र जांच आवश्यक मानी।
18	Dr. Ekta Singh v. Mr. Rajeev Giri KAHC010140572022	HIGH COURT OF KARNATAKA	2023	कस्टडी और संरक्षकता में अंतर; बच्ची के समग्र कल्याण को प्राथमिकता दी।
19	Muturam Jolhe v. Suman Jolhe CGHC010105172017	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2022	मां की उदासीनता और पुनर्विवाह के कारण कस्टडी दादा-दादी के पास बनाए रखी।
20	Ajay Kumar Nanda @ Pintu v. Ashok Kumar Padhee & Ors. ODHC010745122024	ORISSA HIGH COURT	2025	मां की मृत्यु के बाद बच्चे के कल्याण और इच्छा को देखकर नाना-नानी को कस्टडी।
21	Nirmala Devi v. Uma Dutt HPHC010146942017	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2018	बच्चों की माता के प्रति अनिच्छा और पिता की बेहतर वित्तीय स्थिति पर कस्टडी पिता को दी।
22	K. Kiran Kumar v. Swaroopa CGHC010113362021	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2024	माता-पिता के वैधानिक अधिकारों के ऊपर बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी।
23	Adarsh C.B. v. Aswathy Sidharthan KLHC010847412022	HIGH COURT OF KERALA	2023	पिता और बच्चे के बीच तत्काल भावनात्मक संबंध न होने के कारण रातभर की कस्टडी देने से इनकार।
24	Vivek Madan v. Rani Madan CGHC010025532019	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2025	बच्चे लंबे समय से जहां रह रहे थे वहीं रखा, दोनों पक्षों को मुलाकात के अधिकार दिए।
25	Rosy Jacob v. Jacob A. Chakramakkal ESCR010002921973	SUPREME COURT OF INDIA	1973	पिता की सामान्य उपयुक्तता के बावजूद बच्चों के कल्याण के लिए कस्टडी माता को सौंपी।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Manoj Ghodeshwar v. Yashwant Meshram

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2024-01-18 • MA/368/2020

यह मामला एक पिता द्वारा अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी के लिए दायर की गई अपील से संबंधित है। पिता ने Guardians and Wards Act, 1890 की धारा 25 के तहत कस्टडी की मांग की थी, जिसे निचली अदालत ने बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने बच्चे के साथ निजी तौर पर बातचीत की और पाया कि 14 वर्षीय बच्चा अपने नाना के साथ खुश है और उन्हीं के साथ रहना चाहता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यद्यपि पिता प्राकृतिक अभिभावक होता है, लेकिन बच्चे की कस्टडी का निर्णय लेते समय बच्चे की इच्छा और उसका कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने पिता की अपील खारिज कर दी और बच्चे को उसके नाना के संरक्षण में रहने की अनुमति दी।

निर्णय न्यायालय ने माना कि कस्टडी विवादों को बच्चे के अधिकारों या माता-पिता के कानूनी दावों के बजाय बच्चे के कल्याण के दृष्टिकोण से तय किया जाना चाहिए। कस्टडी का निर्णय संपत्ति पर दावे की तरह नहीं लिया जा सकता। यदि बच्चा अपनी इच्छा स्पष्ट करने के योग्य है, तो उसके निर्णय को सर्वोपरि माना जाना चाहिए।

“Section 13 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 provides that the welfare of the minor must be of paramount consideration while deciding custody disputes. Section 13 provides as under: “13. Welfare of minor to be paramount consideration.—(1) In the appointment or declaration of any person as guardian of a Hindu minor by a court, the welfare of the minor shall be the paramount consideration. (2) No person shall be entitled to the guardianship by virtue of the provisions of this Act or of any law relating to guardianship in marriage among Hindus, if the court is of opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of the minor.””

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2024

स्रोत MPHC010021082020

02 Sunil Podar v. The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities

HIGH COURT OF DELHI • 2023-02-13 • W.P.(C)/8359/2022

यह मामला 'National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999' के तहत अभिभावक (guardian) के रूप में नियुक्ति के लिए नागरिकता (citizenship) की अनिवार्यता को चुनौती देने से संबंधित है। याचिकाकर्ता, जो स्वयं और उनके दिव्यांग पुत्र विदेशी नागरिक हैं, ने 'Rule 17(1)(iii)(a)' और 'Regulation 12(1)(i)' की वैधता को चुनौती दी थी, जो केवल भारतीय नागरिकों को ही अभिभावक बनने की अनुमति देते हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मुख्य अधिनियम (parent Act) में ऐसी कोई शर्त नहीं है, इसलिए ये नियम अल्ट्रा वायर्स (ultra vires) हैं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों का कल्याण सुनिश्चित करना है और स्थानीय निगरानी समितियों द्वारा निरंतर देखभाल और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नागरिकता की शर्त एक तर्कसंगत और वैध प्रावधान है।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोहराया कि कस्टडी और संरक्षकता के मामलों में तकनीकी वैधानिक अधिकारों के ऊपर बच्चे का हित ही सर्वोपरि है। न्यायालय को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बच्चे की सामान्य सुख-सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

“In selecting proper guardian of a minor, the paramount consideration should be the welfare and well-being of the child. In selecting a guardian, the court is exercising parens patriae jurisdiction and is expected, nay bound, to give due weight to a child's ordinary comfort, contentment, health, education, intellectual development and favourable surroundings. But over and above physical comforts, moral and ethical values cannot be ignored. They are equally, or we may say, even more important, essential and indispensable considerations.”

HIGH COURT OF DELHI • 2023

स्रोत DLHC010207112022

03 Bhavnaben v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2021-06-25 • SCR.A/9007/2020

यह मामला एक माँ द्वारा अपनी चार साल की बेटी की कस्टडी के लिए दायर की गई Habeas Corpus याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उसके पूर्व पति (Respondent No.4) ने अवैध रूप से बच्ची को हिरासत में रखा है। दूसरी ओर, Respondent No.4 का तर्क था कि एक पारंपरिक तलाक (customary divorce) के दौरान हुए समझौते के तहत, उसने बच्ची की कस्टडी प्राप्त की थी और इसके बदले में याचिकाकर्ता को 9.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे विवादों में कस्टडी का निर्धारण केवल माता-पिता के दावों पर नहीं, बल्कि 'parens patriae' के सिद्धांत और बच्ची के सर्वोत्तम हित (welfare of the child) को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। न्यायालय ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का सहारा लिया और पाया कि यह विवाद का विषय है जिसे फैमिली कोर्ट जैसे उचित मंच पर हल किया जाना चाहिए, न कि Habeas Corpus याचिका के माध्यम से।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि माता-पिता के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण बच्चा पीड़ित होता है और ऐसे में 'parens patriae' क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए बच्चे का कल्याण ही सर्वोपरि विचार होना चाहिए। कस्टडी तय करते समय माता-पिता के किसी भी समझौते या वैधानिक अधिकारों के ऊपर बच्चे के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

“The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 lays down the principles on which custody disputes are to be decided. Section 7 of this Act empowers the Court to make order as to guardianship. Section 17 enumerates the matters which need to be considered by the Court in appointing guardian and among others, enshrines the principle of welfare of the minor child. This is also stated very eloquently in Section 13 which reads as under: “13. Welfare of minor to be paramount consideration. (1) In the appointment or declaration of any person as guardian of a Hindu minor by a court, the welfare of the minor shall be the paramount consideration. (2) No person shall be entitled to the guardianship by virtue of the provisions of this Act or of any law relating to guardianship in marriage among Hindus, if the court is of opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of the minor.””

HIGH COURT OF GUJARAT • 2021

स्रोत GJHC240625562020

04 Neeru Mehta v. Sachin Puri

HIGH COURT OF DELHI • 2025-01-23 • MAT.APP.(F.C.)/26/2025

यह मामला एक नाबालिग बच्ची की कस्टडी से संबंधित है। अपीलकर्ताओं (नानी-नाना और मामा) ने परिवार अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बच्ची को उसके प्राकृतिक अभिभावक यानी पिता (प्रतिवादी) को सौंपने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए दोहराया कि कस्टडी के मामलों में एकमात्र और सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण (welfare of the minor) होता है।

न्यायालय ने पाया कि पिता के आचरण के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है और बच्ची भी अपने पिता के साथ रहने में सहज है। अतः न्यायालय ने अपील को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया और पिता को कस्टडी देने के आदेश को बरकरार रखा।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कस्टडी के मामलों में किसी भी माता-पिता के वैधानिक अधिकारों के स्थान पर बच्चे के कल्याण को ही प्रधानता दी जाएगी। यद्यपि पिता को काम करने वाले सदस्य के रूप में बच्चे के कल्याण के लिए बेहतर समझा जाता है, तथापि प्रत्येक मामले का निर्धारण उसके अपने विशिष्ट तथ्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

“while determining the question as to which parent the care and control of a child should be committed, the first and the paramount consideration is the welfare and interest of the child and not the rights of the parents under a statute. Indubitably the provisions of law pertaining to the custody of a child contained in either the Guardians and Wards Act, 1890 (Section 17) or the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 (Section 13) also hold out the welfare of the child as a predominant consideration. In fact, no statute, on the subject, can ignore, eschew or obliterate the vital factor of the welfare of the minor. The question of welfare of the minor child has again to be considered in the background of the relevant facts and circumstances. Each case has to be decided on its own facts and other decided cases can hardly serve as binding precedents...”

HIGH COURT OF DELHI • 2025

स्रोत DLHC011020652024

05 P. Manjunath v. Jagadish

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2020-05-14 • MFA/3270/2019

यह मामला एक नाबालिग बच्चे की स्थायी कस्टडी की मांग से संबंधित है। अपीलकर्ता, जो बच्चे का जैविक पिता है, ने बच्चे के नाना (प्रतिवादी) के विरुद्ध 'Guardian and Wards Act, 1890' के Section 25 के तहत याचिका दायर की थी। अपीलकर्ता की पत्नी (बच्चे की मां) द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद से बच्चा अपने नाना के संरक्षण में रह रहा था। परिवार न्यायालय ने पिता को बच्चे की स्थायी कस्टडी देने से इनकार कर दिया था और केवल अस्थायी कस्टडी और विजिटेशन अधिकार प्रदान किए थे। उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार करते हुए मुख्य रूप से बच्चे के 'welfare' को सर्वोपरि माना। न्यायालय ने पाया कि पारिवारिक परिस्थितियों और लंबित आपराधिक मामलों को देखते हुए बच्चे का अपने नाना के साथ रहना ही फिलहाल उसके सर्वोत्तम हित में है।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कस्टडी और संरक्षकता तय करते समय बच्चे का कल्याण ही सर्वोपरि विचार है न कि माता-पिता के वैधानिक अधिकार। कस्टडी सामान्यतः प्राकृतिक अभिभावक को दी जानी चाहिए, लेकिन जब पिता के दावे में कोई प्रतिकूल परिस्थिति (जैसे आपराधिक मामला या अन्य विवाद) हो, तो बच्चे की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी।

“In determining the question as to who should be given the custody of a minor child, there is no doubt that the paramount consideration is the welfare of the child and not rights of the parents under a statute for the time being in force. 39. On a consideration of the aforesaid case law, it becomes evident that the welfare of the child is a paramount consideration. Ordinarily, custody should go to the natural guardians, unless there is a conflict in the claim of the father as a natural guardian.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2020

स्रोत KAHC010358132019

06 Vijayaben Parshottam Kotak v. Parshottam Kotak

HIGH COURT OF GUJARAT • 2002-10-09 • CRA/633/2002

यह मामला बच्चों की कस्टडी (custody) से संबंधित है। पति ने Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 की Section 7 के तहत अपने दो नाबालिग बेटों की कस्टडी के लिए आवेदन किया था। निचली अदालत ने पिता की बेहतर वित्तीय स्थिति और Porbandar जैसे बड़े शहर में बेहतर शैक्षिक सुविधाओं का हवाला देते हुए कस्टडी पिता को सौंपने का आदेश दिया, जबकि बच्चे माता के साथ रहना चाहते थे। इस निर्णय को पत्नी ने चुनौती दी। न्यायालय ने मुख्य रूप से 'बच्चे के कल्याण' (welfare of the minor) को सर्वोपरि मानते हुए मामले का पुनर्मूल्यांकन किया। न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक उदाहरणों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि कस्टडी तय करते समय केवल आर्थिक संपन्नता ही एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता, बल्कि बच्चे की भावनात्मक जरूरतों और उनकी इच्छा को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

निर्णय न्यायालय ने माना कि बच्चे के 'कल्याण' को केवल धन या भौतिक सुख-सुविधाओं से नहीं मापा जा सकता। इसमें नैतिक और धार्मिक कल्याण भी शामिल है। इसके अलावा, निविदा आयु (tender age) के बच्चों के लिए मां का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है और उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता।

“But the welfare of the child is not to be measured by money or by physical comfort only. The word 'welfare' must be taken in its widest sense. The moral or religious welfare of the child must be considered as well as its physical well being. It is further held that the principal considerations laid down in Section 17 of the Guardians and Wards Act to secure the welfare of the minor are: (a) age, (b) sex, (c) religion, (d) character and capacity of the proposed guardian (e) his nearness of kin to the minor...”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2002

स्रोत GJHC240011382002

07 Nil Ratan Kundu & Anr. v. Abhijit Kundu

SUPREME COURT OF INDIA • 2008-08-08 • 2008 INSC 920

यह मामला एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी से संबंधित है। बच्चे के पिता पर उसकी मां की मृत्यु के मामले में Section 498A और Section 304 of the IPC के तहत आपराधिक मुकदमा चल रहा था, जिसके कारण बच्चा अपने नाना-नानी (appellants) के पास रह रहा था। निचली अदालतों ने केवल पिता के प्राकृतिक अभिभावक होने के आधार पर उसे कस्टडी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि कस्टडी के मामलों में बच्चे का कल्याण (welfare of the child) सर्वोपरि है, न कि केवल कानूनी प्रावधानों की व्याख्या। कोर्ट ने कहा कि पिता के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और बच्चे की इच्छा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। चूँकि बच्चे ने पिता के साथ जाने से मना कर दिया था, न्यायालय ने कस्टडी नाना-नानी के पास ही बनाए रखने का आदेश दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कस्टडी का निर्धारण केवल माता-पिता के कानूनी अधिकारों पर नहीं, बल्कि बच्चे के सर्वोत्तम हित पर होता है। पिता का 'अयोग्य न होना' (negative test) कस्टडी देने का पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि 'सकारात्मक परीक्षण' (positive test) यह होना चाहिए कि कस्टडी सौंपने से बच्चे का कल्याण सुनिश्चित होगा या नहीं।

“The dominant matter for the consideration of the Court is the welfare of the child. But the welfare of the child is not to be measured by money only nor merely physical comfort. The word 'welfare' must be taken in its widest sense. The moral or religious welfare of the child must be considered as well as its physical well-being. Nor can the tie of affection be disregarded.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2008

स्रोत ESCR010000952008

08 Tejaswini Gaud v. Shekhar Jagdish Prasad Tewari

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-05-06 • 2019 INSC 630

यह मामला एक अवयस्क बच्चे की कस्टडी (custody) से संबंधित है। बच्चे के माता-पिता की बीमारी और माता की मृत्यु के कारण, बच्चा अपनी मौसी और मामा (appellants) के पास रह रहा था। पिता ने अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए habeas corpus याचिका दायर की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Hindu Minority and Guardianship Act के Section 6 के तहत पिता ही एकमात्र जीवित नैसर्गिक अभिभावक (natural guardian) है। यद्यपि ऐसे मामलों में मुख्य विचार 'welfare of the child' होता है, लेकिन यहां पिता ने बच्चे को छोड़ा नहीं था और वह उसकी देखभाल करने में पूरी तरह सक्षम है। अतः, न्यायालय ने पिता के पक्ष में निर्णय देते हुए बच्चे की कस्टडी उन्हें सौंपने का आदेश दिया, साथ ही appellants को visitation rights दिए।

निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि विशेष कानूनों के तहत माता-पिता के अधिकार बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत के अधीन हैं। न्यायालय कस्टडी के मामलों में किसी वैधानिक कानूनी अधिकार से बाध्य नहीं है। कस्टडी तय करते समय बच्चे की साधारण सुख-सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुकूल परिवेश को प्राथमिक महत्व दिया जाना चाहिए।

“Welfare of the minor child is the paramount consideration:- The court while deciding the child custody cases is not bound by the mere legal right of the parent or guardian. Though the provisions of the special statutes govern the rights of the parents or guardians, but the welfare of the minor is the supreme consideration in cases concerning custody of the minor child. The paramount consideration for the court ought to be child interest and welfare of the child.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010009002019

09 Ashwin Chaudhry v. Kiran Chaudhry

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2016-06-20 • WPMS/862/2016

यह मामला एक वैवाहिक विवाद के दौरान बच्चे की कस्टडी से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने Family Court के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने Section 26 of the Hindu Marriage Act के तहत दायर कस्टडी आवेदन को मुख्य तलाक याचिका के साथ निपटाने का निर्णय लिया था। High Court ने स्पष्ट किया कि Section 26 के तहत आवेदन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उसे अंतिम निर्णय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और उसे निर्देश दिया कि कस्टडी के मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए। न्यायालय ने दोहराया कि बच्चे की कस्टडी तय करते समय 'welfare of the minor' ही सर्वोपरि विचार होना चाहिए, न कि माता-पिता के वैधानिक अधिकार।

निर्णय न्यायालय ने माना कि माता-पिता का अपने बच्चों पर निरंकुश अधिकार आधुनिक सामाजिक परिस्थितियों में बच्चे के कल्याण के अधीन हो गया है। पिता का बच्चों से प्रेम और व्यक्तिगत देखभाल में कोई दोष न होना मात्र उसे कस्टडी का स्वतः हकदार नहीं बनाता, जब तक कि वह बच्चे के समग्र संतुलित विकास को बढ़ावा देने में सक्षम न हो।

“Absolute right of parents over the destinies and the lives of their children, in the modern changed social conditions must yield to the considerations of their welfare as human beings so that they may grow up in a normal balanced manner to be useful members of the society and the guardian court in case of a dispute between the mother and the father, is expected to strike a just and proper balance between the requirements of welfare of the minor children and the rights of their respective parents over them.”

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2016

स्रोत UKHC010068652016

10 Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal

SUPREME COURT OF INDIA • 2008-11-19 • 2008 INSC 1324

यह मामला एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कस्टडी तय करने के लिए माता-पिता के कानूनी अधिकारों से अधिक 'बच्चे का कल्याण' (welfare of the child) सर्वोपरि है। न्यायालय ने कहा कि 'कल्याण' का अर्थ केवल शारीरिक सुख-सुविधाएं नहीं, बल्कि बच्चे का नैतिक, नैतिक और मानसिक विकास भी है। पिता ने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बच्चे को अपने पास रखा था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने निचली अदालतों द्वारा मां को कस्टडी देने के निर्णय को सही ठहराया। साथ ही, पिता को अदालत की अवमानना (Contempt of Court) का दोषी पाया गया, लेकिन सजा को पहले ही भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया गया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कस्टडी विवादों का निर्णय माता-पिता के वैधानिक अधिकारों के स्थान पर केवल बच्चे के कल्याण को ही ध्यान में रखकर किया जाएगा। अदालतों को माता-पिता के दावों की वैधता परखते समय 'parens patriae' क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए बच्चे के शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक विकास को केंद्र में रखना होगा।

“The moral and ethical welfare of the child must also weigh with the court as well as its physical well-being. Though the provisions of the special statutes which govern the rights of the parents or guardians may be taken into consideration, there is nothing which can stand in the way of the court exercising its parens patriae jurisdiction arising in such cases.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2008

स्रोत ESCR010005742008

11 Shailesh Khandelwal v. Meenakshi Khandelwal

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2010-11-09 • FAM/79/2010

यह मामला एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी से संबंधित है। माता-पिता का तलाक हो चुका था और तलाक की डिक्री में बच्चा मां के साथ रहने पर सहमत हुआ था, लेकिन बाद में बच्चा पिता की कस्टडी में चला गया। मां ने Guardians and Wards Act, 1890 के तहत कस्टडी की मांग की, जिसे पारिवारिक अदालत ने स्वीकार कर लिया। पिता ने इस निर्णय के खिलाफ अपील की, यह तर्क देते हुए कि वह बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं और मां की नौकरी के कारण वह बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगी। उच्च न्यायालय ने यह दोहराया कि नाबालिग की कस्टडी तय करने में 'welfare of the minor' ही एकमात्र सर्वोपरि विचार है। अदालत ने पाया कि पिता के साथ बच्चा सुरक्षित और खुश है, इसलिए निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया गया।

निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना कि बच्चे की स्थिरता और सुरक्षा उसके व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। केवल बेहतर वित्तीय संसाधन या माता-पिता का अत्यधिक स्नेह कस्टडी का एकमात्र निर्धारक नहीं हो सकता; बल्कि बच्चे के परिवेश की अनुकूलता और स्थिरता प्रमुख मानदंड हैं।

“In our opinion, the stability and security of the child is also an essential ingredient for a full development of child's talent and personality... Better financial resources of either of the parents or their love for the child may be one of the relevant considerations but cannot be the sole determining factor for the custody of the child. It is here that a heavy duty is cast on the court to exercise its judicial discretion judiciously...”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2010

स्रोत CGHC010144432010

12 N. Venkataraman v. Vijayarani

MADRAS HIGH COURT • 2013-02-04 • OSA/24/2013

यह मामला एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी की अंतरिम कस्टडी (interim custody) की मांग से संबंधित है। न्यायालय ने नाबालिग बच्ची की इच्छाओं को सर्वोपरि माना, जिसने पिता के साथ जाने में स्पष्ट रूप से अनिच्छा व्यक्त की थी। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 13 के तहत, न्यायालय ने दोहराया कि कस्टडी के मामलों में बच्चे का कल्याण ही सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चूंकि बच्ची पर्याप्त रूप से परिपक्व है और पिता के प्रति उसका व्यवहार नकारात्मक है, न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पिता को केवल फोन पर बात करने की सीमित अनुमति दी गई थी।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि कस्टडी तय करते समय बच्चे की अपनी इच्छा और पिता के साथ जाने की अनिच्छा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यदि बच्चा परिपक्व है और पिता के प्रति नकारात्मक भावना रखता है, तो उसे कस्टडी सौंपना उसके कल्याण के विपरीत होगा।

“From the above it follows that an order of custody of minor children either under the provisions of the Guardians and Wards Act, 1890 or Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 is required to be made by the Court treating the interest and welfare of the minor to be of paramount importance. It is not the better right of the either parent that would require adjudication while deciding their entitlement to custody.”

MADRAS HIGH COURT • 2013

स्रोत HCMA014178722013

13 Col. Ramneesh Pal Singh v. Sugandhi Aggarwal

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-05-08 • 2024 INSC 397

यह मामला दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा (custody) से संबंधित विवाद के बारे में है। Family Court ने बच्चों की स्थायी अभिरक्षा पिता (जो भारतीय सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं) को दी थी और माता को मिलने का अधिकार (visitation rights) दिया था, लेकिन High Court ने इस आदेश को रद्द कर shared custody का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अभिरक्षा तय करते समय बच्चे का 'कल्याण' (welfare) सर्वोपरि है। न्यायालय ने पाया कि बच्चों की पिता के साथ रहने की इच्छा और सशस्त्र बलों में उन्हें मिलने वाला मजबूत आधारभूत ढांचा उनके विकास के लिए बेहतर है। साथ ही, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'Parental alienation syndrome' (PAS) का आरोप लगाने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए और इसे बिना किसी आधार के माता-पिता पर नहीं थोपा जाना चाहिए। अंत में, न्यायालय ने पिता की स्थायी अभिरक्षा को बहाल रखा।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कस्टडी तय करते समय बच्चे के कल्याण का दृष्टिकोण समग्र होना चाहिए, जिसमें बच्चे की शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक अवसर, स्वास्थ्य सेवा, और अनुकूल परिवेश जैसी आवश्यकताएं शामिल हैं। इसके साथ ही, बच्चों की निरंतर स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण विचार है।

“This Court in a catena of decisions has held that the controlling consideration governing the custody of children is the welfare of children and not the right of their parents... Accordingly, in view of the aforesaid, not only must we proceed to decide the present lis on the basis of a holistic and all-encompassing approach including inter alia (i) the socio-economic and educational opportunities which may be made available to the Minor Children; (ii) healthcare and overall-wellbeing of the children...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010002742024

14 Munendra Kumar v. Priyanka Kumari

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2025-07-14 • FA/158/2023

यह मामला नाबालिग बच्चे की कस्टडी से संबंधित है। Appellant (पिता) ने फैमिली कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी कस्टडी याचिका खारिज कर दी गई थी। Appellant का तर्क था कि वह पिता होने के नाते 'natural guardian' है और बेहतर आर्थिक स्थिति में है। वहीं, Respondent (माता) ने तर्क दिया कि बच्चा जन्म से ही उसके पास है, इसलिए उसका पालन-पोषण और कल्याण उसकी देखरेख में ही सर्वोत्तम है। झारखंड उच्च न्यायालय ने Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 की धारा 13 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि कस्टडी के मामलों में 'welfare of the minor' ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। न्यायालय ने माना कि पिता का 'natural guardian' होना ही कस्टडी के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। तदनुसार, अदालत ने बच्चे की भलाई को देखते हुए फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।

निर्णय झारखंड उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि पिता को कानूनन प्राकृतिक संरक्षक घोषित किया गया है, लेकिन बच्चे के कल्याण के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। न्यायालय का मुख्य दायित्व बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से विचार करना है।

“Section 13 of the Act of 1956 is very specific that there cannot be compromise on the issue of the welfare of the minor even though the father is natural guardian in view of the provision of section 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956... the paramount consideration in the matter of handing over the custody of the child is welfare of the child.”

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2025

स्रोत JHHC010244152023

15 Lahari Sakhamuri v. Sobhan Kodali

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-03-15 • 2019 INSC 383

यह मामला दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी (custody) से संबंधित है, जो US के नागरिक हैं। पत्नी ने US में तलाक और कस्टडी की कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन बाद में बच्चों को लेकर भारत आ गई और यहाँ की Family Court में कस्टडी के लिए याचिका दायर कर दी। पति ने US Court का रुख किया, जिसने उसे बच्चों की कस्टडी सौंपी और भारत से उन्हें वापस लाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने High Court के उस निर्णय को सही ठहराया जिसमें बच्चों को 'ordinary resident' न मानते हुए कस्टडी याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने 'best interest of the child' और 'comity of courts' के सिद्धांत को प्राथमिकता देते हुए पत्नी को बच्चों के साथ US लौटने का निर्देश दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालयों की सौहार्दता (comity of courts), माता-पिता की नागरिकता और करीबी जुड़ाव का सिद्धांत बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण के अधीन हैं। बच्चे को विदेशी अधिकार क्षेत्र में वापस भेजने के आदेश से उसे कोई शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान नहीं होना चाहिए।

“The doctrines of comity of courts, intimate connect, orders passed by foreign courts having jurisdiction in the matter regarding custody of the minor child, citizenship of the parents and the child etc., cannot override the consideration of the best interest and the welfare of the child and that the direction to return the child to the foreign jurisdiction must not result in any physical, mental, psychological, or other harm to the child.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010007472019

16 Aarav Shukla v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-05-18 • HABC/43/2020

यह मामला एक Habeas Corpus याचिका से संबंधित है, जिसे एक पिता ने अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी के लिए दायर किया था। पिता का आरोप था कि पत्नी (प्रतिवादी संख्या 3) बिना अनुमति के बच्चे को U.S.A. से भारत ले आई और उसे पिता से मिलने नहीं दे रही है। पिता ने तर्क दिया कि बच्चा

U.S. का नागरिक है और वहां की अदालत के आदेश के अनुसार उसे वापस भेजा जाना चाहिए। न्यायालय ने पिता द्वारा लगाए गए आरोपों और बच्चे के कल्याण के दृष्टिकोण पर विचार किया। अंततः, न्यायालय ने कस्टडी और बच्चे की वापसी से जुड़े विवादों को Family Court के अधिकार क्षेत्र में मानते हुए, याचिका को गुण-दोष के आधार पर निर्धारित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक निर्देश दिए।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि बच्चे का यह मानवाधिकार है कि उसे दोनों माता-पिता का प्यार और स्नेह मिले। कस्टडी एक माता-पिता को सौंपे जाने के बाद भी, दूसरे माता-पिता को व्यापक मुलाकात के अधिकार (visitation rights) दिए जाने चाहिए ताकि बच्चा दोनों से जुड़ा रहे।

“Even if the custody is given to one parent the other parent must have sufficient visitation rights to ensure that the child keeps in touch with the other parent and does not lose social, physical and psychological contact with any one of the two parents. It is only in extreme circumstances that one parent should be denied contact with the child. Reasons must be assigned if one parent is to be denied any visitation rights or contact with the child.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC010091822020

17 Tanishqa Kumar v. Nagendra Kumar Jogi

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2017-09-07 • WP227/87/2015

यह मामला एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी से संबंधित है। पिता ने Guardians and Wards Act, 1890 की Section 25 के तहत कस्टडी के लिए आवेदन किया था। Family Court, Durg ने माता-पिता के बीच हुए समझौते के आधार पर बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने का आदेश दिया। नाबालिग ने अपनी नानी के माध्यम से इस आदेश को चुनौती दी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि कस्टडी तय करने में माता-पिता के कानूनी अधिकारों से अधिक 'बच्चे का कल्याण' (welfare of the minor) सर्वोपरि है। न्यायालय ने यह भी कहा कि Family Court ने बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए और बच्चे की भलाई को स्वतंत्र रूप से परखे बिना केवल समझौते के आधार पर आदेश पारित किया, जो कानूनन गलत है।

निर्णय न्यायालय ने माना कि कस्टडी विवादों में माता-पिता का वैधानिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अदालतों का एकमात्र और सर्वोच्च पैमाना बच्चे का सर्वोत्तम हित होना चाहिए। यदि बच्चा लंबे समय से नानी के पास रहकर अनुकूल परिवेश में बढ़ रहा है, तो उस वातावरण को अचानक बदलना उचित नहीं है।

“ordinarily, under the Guardian and Wards Act, the natural guardians of the child have the right to the custody of the child, but that right is not absolute and the Courts are expected to give paramount consideration to the welfare of the minor child. The child has remained with the Appellant grandmother for a long time and is growing up well in an atmosphere which is conducive to its growth.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2017

स्रोत CGHC010146792015

18 Dr. Ekta Singh v. Mr. Rajeev Giri

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023-01-31 • MFA/2786/2022

यह मामला एक वैवाहिक विवाद और नाबालिग बच्ची की कस्टडी से संबंधित है। अपीलकर्ता-माता ने पारिवारिक न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें पिता को Section 25 of the Guardians and Wards Act, 1890 के तहत बच्ची की कस्टडी सौंप दी गई थी। पिता का आरोप था कि माता का विवाहेतर संबंध था, जो बच्ची के कल्याण और उसके पालन-पोषण के लिए प्रतिकूल वातावरण बना रहा था।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'संरक्षकता' (Guardianship) और 'अभिरक्षा' (Custody) के बीच अंतर है। संरक्षकता एक अधिक व्यापक कानूनी अधिकार है, जबकि कस्टडी बच्चे के कल्याण और तात्कालिक देखभाल से जुड़ी है। बच्चे का कल्याण ही कस्टडी तय करने का मुख्य मापदंड है।

“It is a well settled legal principle that there is a difference between custody and guardianship. Guardianship is a more comprehensive and more valuable right than mere custody. The court while exercising parens patriae jurisdiction is guided by sole and paramount consideration of what would best subserve the interest and welfare of the child to which all other consideration must yield.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023

स्रोत KAHC010140572022

19 Muturam Jolhe v. Suman Jolhe

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2022-06-30 • FAM/175/2017

यह मामला एक अवयस्क बच्चे Harsh की कस्टडी से संबंधित है। बच्चे के पिता की मृत्यु के बाद, उसकी कस्टडी दादा-दादी (अपीलकर्ता) के पास थी। बच्चे की माता (प्रतिवादी) ने कस्टडी के लिए आवेदन किया, जिसे Family Court ने स्वीकार कर लिया था। उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई के दौरान पाया कि बच्चे का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 की Section 13 में प्रावधान है। न्यायालय ने गौर किया कि माता ने बच्चे के साथ visitation rights का लाभ उठाने में रुचि नहीं दिखाई और बाद में उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। बच्चे के साथ सीधे संवाद करने पर न्यायालय ने पाया कि बच्चा अपने दादा-दादी के साथ रहना चाहता है। अतः, न्यायालय ने बच्चे के कल्याण को देखते हुए कस्टडी दादा-दादी के पास ही रखने का निर्णय लिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कस्टडी का निर्णय लेते समय बच्चे का कल्याण ही प्रमुख विचार है, माता-पिता या रिश्तेदारों के वैधानिक अधिकार नहीं। यदि माता अदालती आदेश के बाद भी बच्चे से मुलाकात करने या संबंध बनाने में उदासीनता दर्शाती है, तो कस्टडी उसे नहीं सौंपी जा सकती।

“According to the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956... Section 13 deals with “welfare” of minor child... The analysis of the provision of the Act, 1956, would lead to an irresistible conclusion that the welfare of the minor would be the paramount consideration and not the right of the parents or relatives under the statute which are enforced.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2022

स्रोत CGHC010105172017

20 Ajay Kumar Nanda @ Pintu v. Ashok Kumar Padhee & Ors.

ORISSA HIGH COURT • 2025-10-23 • GUAP/13/2024

यह मामला एक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा (custody) से संबंधित है। अपीलकर्ता (पिता) ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने बच्चे की कस्टडी के लिए आवेदन किया था, जो कि उसके नाना-नानी और मामा के पास रह रहा था। Family Court ने बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए कस्टडी नाना-नानी के पास ही रखने का निर्णय दिया था। High Court ने यह दोहराया कि Guardians and Wards Act, 1890 के तहत कस्टडी के मामलों में बच्चे का कल्याण (welfare of the minor) ही एकमात्र निर्णायक कारक है। न्यायालय ने बच्चे की इच्छा और उसके भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए, उसे उसके नाना-नानी के पास रहने देने के निचले अदालत के फैसले को सही ठहराया।

निर्णय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने दोहराया कि कस्टडी मामलों में पिता की सामान्य 'योग्यता' (fitness) का अर्थ यह नहीं है कि बच्चे के कल्याण पर विचार ही न किया जाए। कस्टडी तय करने का परीक्षण 'सकारात्मक' होना चाहिए कि पिता को कस्टडी सौंपने से बच्चे का वास्तव में कल्याण होगा या नहीं।

“In selecting proper guardian of a minor, the paramount consideration should be the welfare and wellbeing of the child... in such cases, it is not the “negative test” that the father is not “unfit” or disqualified to have custody of his son/daughter that is relevant, but the “positive test” that such custody would be in the welfare of the minor which is material and it is on that basis that the court should exercise the power...”

ORISSA HIGH COURT • 2025

स्रोत ODHC010745122024

21 Nirmala Devi v. Uma Dutt

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2018-04-19 • FA0/330/2017

यह मामला बालकों की अभिरक्षा (custody) से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अपने दो बच्चों की कस्टडी के लिए आवेदन किया था, यह आरोप लगाते हुए कि प्रतिवादी (पिता) बच्चों की देखभाल नहीं कर रहा है। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से आपसी तलाक के समय बच्चों की कस्टडी प्रतिवादी को सौंप दी थी और बाद में पुनर्विवाह कर लिया था। प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति बेहतर है और बच्चे उनके पास सुरक्षित और खुश हैं। न्यायालय ने बच्चों की इच्छा और उनके कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए याचिकाकर्ता की कस्टडी की मांग को खारिज कर दिया, क्योंकि बच्चे याचिकाकर्ता को पहचानने में भी असमर्थ थे।

निर्णय न्यायालय ने माना कि जब बच्चे अपनी मां को पहचानने में भी असमर्थ हों और उनके साथ जाने से पूरी तरह अनिच्छा व्यक्त करें, तो कस्टडी मां को सौंपने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कस्टडी का निर्धारण केवल माता-पिता के वैधानिक अधिकारों के आधार पर नहीं किया जा सकता।

“Once the minor children, who otherwise were intelligent enough, have shown their complete reluctance to go with the appellant and, in fact, have not even recognised her, then in such circumstances, there can be no question of handing over the custody of the minors to the appellant as the same would not be either in the interest or the welfare of the minors.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2018

स्रोत HPHC010146942017

22 K. Kiran Kumar v. Swaroopa

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2024-04-02 • FA(MAT)/26/2021

यह मामला एक नाबालिग बच्ची की कस्टडी से संबंधित है। अपीलकर्ता-पति ने अपनी पत्नी से बच्ची की कस्टडी की मांग करते हुए तर्क दिया कि वह एक प्राकृतिक अभिभावक (natural guardian) है और उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है। वहीं, उत्तरदाता-पत्नी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह बच्ची की देखभाल करने में पूरी तरह सक्षम है। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि गार्डियनशिप और कस्टडी के मामलों में 'welfare of the minor' ही सर्वोपरि है, न कि किसी पक्ष का कानूनी अधिकार। न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लिया है। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई और बच्ची की कस्टडी माँ के पास ही रहने दी गई।

निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना कि जब माता-पिता दोनों बच्चे की देखभाल करने में सक्षम हों, लेकिन कस्टडी विवाद हो, तो न्यायालय को वैधानिक प्रावधानों से ऊपर उठकर बच्चे के नैतिक और भौतिक कल्याण का आकलन करना चाहिए। इसके लिए 'parens patriae' क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है।

“The court then does not give emphasis on what the parties say, it has to exercise a jurisdiction which is aimed at the welfare of the minor... over and above physical comforts, the moral and ethical values have also to be noted. They are equal if not more important than the others.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2024

स्रोत CGHC010113362021

23 Adarsh C.B. v. Aswathy Sidharthan

HIGH COURT OF KERALA • 2023-01-10 • OP (FC)/665/2022

यह मामला बच्चे की कस्टडी से संबंधित एक पारिवारिक विवाद है। याचिकाकर्ता ने Family Court, Chavara के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे बच्चे की अंतरिम कस्टडी नहीं दी गई थी, बल्कि केवल अदालत परिसर में मिलने का अधिकार दिया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि बच्चे के साथ भावनात्मक बंधन बनाने के लिए उसे रात भर की कस्टडी की आवश्यकता है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि कस्टडी के मामलों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। चूंकि पिता और बच्चे के बीच भावनात्मक दूरी है और उनके संबंध अभी सहज नहीं हैं, इसलिए तुरंत रात भर की कस्टडी देना बच्चे के हित में नहीं होगा। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और याचिकाकर्ता को वर्तमान में केवल मुलाकात के अधिकार दिए।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने माना कि बच्चे के साथ पिता का भावनात्मक संबंध और आपसी विश्वास स्थापित होने से पहले रातभर की कस्टडी (overnight custody) सौंपना बच्चे के कल्याण के विपरीत हो सकता है। मुलाकात के अधिकार अनिवार्य रूप से बच्चों के हित और माता-पिता दोनों की संगति के अधिकार की सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं।

“giving overnight custody of the child to the petitioner before creating a conducive relationship and developing an emotional bondage between them does not cater to the welfare of the child, whereas that may be counter productive. Hence the directions of the Family Court regarding the interim custody contained in the order... have to continue for the time being.”

HIGH COURT OF KERALA • 2023

स्रोत KLHC010847412022

24 Vivek Madan v. Rani Madan

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2025-04-25 • FAM/40/2019

यह मामला बच्चों की कस्टडी (custody) से संबंधित है। पति और पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप बेटी अपने पिता के साथ और बेटा अपनी माँ के साथ रह रहा था। Family Court ने दोनों पक्षों द्वारा दायर कस्टडी के आवेदनों को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ पति ने अपील की। High Court ने माना कि बच्चों की कस्टडी के मामलों में माता-पिता के अधिकारों से ऊपर बच्चे का कल्याण (welfare of the child) सर्वोपरि है। चूंकि बच्चे लंबे समय से अपने संबंधित अभिभावकों के साथ रह रहे हैं और वे अपनी वर्तमान स्थिति के साथ सहज हैं, इसलिए कोर्ट ने कस्टडी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, लेकिन दोनों माता-पिता को बच्चों से मिलने के लिए visitation rights प्रदान किए।

निर्णय न्यायालय ने माना कि कस्टडी में माता-पिता के वैधानिक अधिकारों को लागू नहीं किया जाता; बल्कि केवल बच्चे की भलाई और उसका विकास ही एकमात्र सुविचारित दृष्टिकोण होना चाहिए। दोनों बच्चों की वर्तमान स्थिति की सुरक्षा हेतु अदालत ने उन्हें उनके संबंधित अभिभावक के पास ही रखना उचित समझा।

“when a court is confronted by conflicting claims of custody there are no rights of the parents which have to be enforced; the child is not a chattel or a ball that is bounced to and fro the parents. It is only the child’s welfare which is the focal point for consideration.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2025

स्रोत CGHC010025532019

25 Rosy Jacob v. Jacob A. Chakramakkal

SUPREME COURT OF INDIA • 1973-04-05 • 1973 INSC 74

यह मामला बच्चों की कस्टडी (custody) से संबंधित है। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि Guardians and Wards Act, 1890 की Section 25 के तहत कस्टडी तय करने का प्राथमिक मानदंड क्या होना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कस्टडी के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण विचार बच्चों का कल्याण (welfare of the children) है, न कि माता-पिता का अधिकार। न्यायालय ने निर्णय दिया कि तकनीकी बारीकियों के आधार पर बच्चे के कल्याण को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इस विशेष मामले में, बेटी की उम्र और छोटे बेटे की आवश्यकता को देखते हुए, उनकी कस्टडी माँ को दी गई। न्यायालय ने माना कि पिता का चरित्र अच्छा होना ही कस्टडी पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, यदि माँ के पास रहने से बच्चों का बेहतर पालन-पोषण और विकास सुनिश्चित होता हो।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से घोषित किया कि बच्चे कोई 'सामान' या माता-पिता के 'खिलौने' नहीं हैं। पिता का केवल 'अयोग्य न होना' माता के अधिकारों और बच्चे के कल्याणकारी हितों को नज़रअंदाज़ करने का आधार नहीं बन सकता; कस्टडी का आधार बच्चे की सर्वोत्तम देखभाल होना चाहिए।

“The children are not mere chattels : nor are they mere playthings for their parents. Absolute right of parents over the destinies and the lives of their children has, in the modern changed social conditions, yielded to the considerations of their welfare as human beings so that they may grow up in a normal balanced manner to be useful members of the society and the guardian court in case of a dispute between the mother and the father, is expected to strike a just and proper balance between the requirements of welfare of the minor children and the rights of their respective parents over them.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1973

स्रोत ESCR010002921973

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।